

2.3

परियोजना का नाम :- जगपद बागेश्वर में 33/11 KV सबस्टेशन
बागेश्वर से 33/11 KV सबस्टेशन तक 33 KV लाईन
का विभागीय वास्तु
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 17-03-2016 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री प्रमोदन शर्मा वन विभाग राजस्व विभाग की ओर से श्री जगदीश सिंह गहिर प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हेमकुमार एवं श्री द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.18 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.12 हे०, वन पंचायत भूमि 0.60 हे० एवं नाप भूमि X हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है (अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)।

ह०/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह०/-
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

ह०/-
(प्रमोदन शर्मा)
वन विभाग
को ३०
मार्च २०१६,

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वन अधिकारी

वन सहायिका
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

वन सहायिका
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

★

तहसीलदार
बागेश्वर

अधिसूचना अधिनियम
विद्युत द्वितीय कार्य खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर